

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 1982/आश्विन 29, 1904
No. 481] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 1982/ASVINA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भ्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(भ्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1982.

क्रा० आ० 754 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय
सरकार एतद्वारा 24 अक्टूबर, 1982 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी
है) और अध्याय 5 और 7 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79

सिक्का नंबर 81 के जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपरान्त हरियाणा राज्य के निम्न-लिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

अम्बाला जिले में निम्नलिखित क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त संख्या
1.	अम्बाला छावनी	62
2.	रामपुर	100
3.	बेबियाल	63
4.	जनेतपुर	45
5.	नागल	102
6.	मनहेरा	104

[संख्या एस-38013/36/82-एच० भाई]

ए० के० मटराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1982

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 24th October, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already, been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

"Serial No.	Name of Revenue village	Had Bast No.
1.	Ambala Cantt	62
2.	Rampur	100
3.	Babiyal	63
4.	Zanetpur	45
5.	Nagal	102
6.	Manhera	104
	in the District of Ambala".	

[No. S-38013/36/82-HU]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.